

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 52/2025

प्रार्थी

GCMS NO-2025/7

अप्रार्थी

किसनाराम कडवासरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर। बनाम

1. श्री मोहन राम पुत्र श्री कालूराम उम्र 36 वर्ष निवासी खेराजरो की ढाणियों चिमनगढ़ तहसील बालेसर जिला जोधपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड चांधन जिला जैसलमेर। मो0 9636538724
2. श्री बाबुराम पुत्र देवाराम उम्र 29 वर्ष निवासी जाटो की ढाणियों झिन्झिनियाला चिमनगढ़ तहसील बालेसर जिला जोधपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड चांधन जिला जैसलमेर। मो0 9413929098
3. श्री जुगल किशोर गांधी पुत्र बद्रीनारायण गांधी उम्र 40 वर्ष निवासी गुरानीयों की गली वार्ड नं. 6 पोकरण जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स जुगल किशोर बद्रीनारायण गांधी जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर। मो0 9784096123
4. श्री पवन मुणोत पुत्र श्री प्रमोद कुमार जैन उम्र 53 वर्ष निवासी 1928 कोठारी हवेली नाहरगढ़ रोड नियर लाल हाथी मंदिर जिला जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स नमन सूर्या मार्केटिंग एलएलपी डी-45 सुभाष मार्ग सी-स्कीम जयपुर
5. मैसर्स नमन सूर्या मार्केटिंग एलएलपी डी-45 सुभाष मार्ग सी-स्कीम जयपुर
6. गोरधन दास अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल गोटेवाला उम्र 67 वर्ष निवासी 1038 जाडियों का रास्ता सीताराम की गल जयपुर शहर 302003(मालिक/विक्रेता) मैसर्स Jhandewalas Food Limited F-551(B), Road No.6 VKI Area Jaipur-1 302013
7. मैसर्स Jhandewalas Food Limited F-551(B), Road No.6 VKI Area Jaipur-1 302013

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 07 तक की ओर से मोहनसिंह उपस्थित।


:: निर्णय ::

दिनांक: 18.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.07.2024 को दोपहर 06.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड़ बांधन जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स पेपीलोन इंडस्ट्रीयल केन्टीन एण्ड हाउस विपिंग कॉन्ट्रैक्टर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड आर.बी.यू. प्लॉट भू जैसलमेर पर श्री मोहन राम पुत्र श्री कालूराम उम 36 वर्ष निवासी खेराजरो की ढाणियों चिमनगढ़ तहसील बालेसर जिला जोधपुर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर धी(नमन) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात धी(नमन) 04 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 2000/- रुपये नमद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा धी(नमन) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर विपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-2012 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-2012 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से विपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-2012 धी(नमन) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को किसनाराम के द्वारा दिनांक 18.07.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 16.07.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 1116 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1100/Act/2024/1146 दिनांक 30.07.2024 अनुसार उक्त नमूना सवरटेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कामजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2025 /स्वीकृति /एन-2012 /2730 दिनांक 21.02.2025 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री मोहन राम पुत्र श्री कालूराम उम्र 36 वर्ष निवासी खेराजरो की ढाणियों चिमनगढ़ तहसील


 न्याय निर्णय अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 जैसलमेर

वालेसर जिला जोधपुर (विक्रेता) मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड बांधन जिला जैसलमेर
 2. श्री बाबुराम पुत्र देवासम उम्र 29 वर्ष निवासी जाटो की बाणियों झिन्डिनियाला विमनगढ तहसील
 वालेसर जिला जोधपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड बांधन जिला जैसलमेर 3.
 श्री जुमल किशोर गांधी पुत्र बद्रीनारायण गांधी उम्र 40 वर्ष निवासी गुरानीयाँ की गली वार्ड नं. 6 पोकरण
 जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स जुमल किशोर बद्रीनारायण गांधी जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर
 4. श्री पवन मुणीत पुत्र श्री प्रमोद कुमार जैन उम्र 53 वर्ष निवासी 1928 कोठारी हवेली नाहरगढ रोड
 नियर लाल हाथी मंदिर जिला जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स नमन सूर्या मार्केटिंग एलएलपी डी-45
 सुभाष मार्ग सी-स्क्रीम जयपुर 5. मैसर्स नमन सूर्या मार्केटिंग एलएलपी डी-45 सुभाष मार्ग सी-स्क्रीम
 जयपुर 6. गोरधन दास अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल गोटेवाला उम्र 67 वर्ष निवासी 1038 जाडियों का रास्ता
 साताराम की गल जयपुर शहर 302003(मालिक/विक्रेता) मैसर्स Jhandewalas Food Limited F-
 551(B), Road No.6 VKI Area Jaipur-1 302013 7. मैसर्स Jhandewalas Food Limited
 F-551(B), Road No.6 VKI Area Jaipur-1 302013 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी(नमन) का
 विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप
 धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम
 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण
 को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक
 जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 एवं 07 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी
 ने बताया कि हो सकता है कि गर्मी के मौसम की वजह से पैकेट के अंदर ही आंशिक
 खराबी हो जिस कारण मानकों के अनुसार आंशिक कमी पाई गई हो इसमें किसी भी प्रकार
 की हेराफेरी नहीं की भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब
 प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व
 प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक
 प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1100/Act/2024/1146 दिनांक 30.07.2024
 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में
 साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है और
 भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु
 मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित
 लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए हैं उसको मध्य-नजर रखते हुए
 न्यायहित में मौके पर पाई गई सबस्टेण्डर्ड घी(नमन) विक्रय मूल्य का 10 गुणा शास्ति आरोपित
 की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण
 द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले
 नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति
 अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 से 07 पर
 संयुक्त रूप से शारित राशी 205,000/- दौ लाख पांच हजार अक्षरे रुपये मात्र की शास्ति
 आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते
 हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा
 एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के
 अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत
 करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित
 समयावधि में शारित शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम

न्याय निधि अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला प्रोसेक्यूट
 जैसलमेर

2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू-राजस्व के वकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
दिनांक

क्रमांक:कोर्ट / 2025 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. श्री प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
3. श्री मोहन राम पुत्र श्री कालूराम उम्र 36 वर्ष निवासी खेराजरो की ढाणियों चिमनगढ़ तहसील बालेसर जिला जोधपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड चांधन जिला जैसलमेर। मो0 9636538724
4. श्री बाबुराम पुत्र देवाराम उम्र 29 वर्ष निवासी जाटो की ढाणियों झिन्झिनियाला चिमनगढ़ तहसील बालेसर जिला जोधपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर मैन रोड चांधन जिला जैसलमेर। मो0 9413929098
5. श्री जुगल किशोर गांधी पुत्र बद्रीनारायण गांधी उम्र 40 वर्ष निवासी गुरानीयों की गली वार्ड नं. 6 पोकरण जिला जैसलमेर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स जुगल किशोर बद्रीनारायण गांधी जोधपुर रोड पोकरण जैसलमेर। मो0 9784096123
6. श्री पवन मुणोत पुत्र श्री प्रमोद कुमार जैन उम्र 53 वर्ष निवासी 1928 कोठारी हवेली नाहरगढ़ रोड नियर लाल हाथी मंदिर जिला जयपुर (मालिक/विक्रेता) मैसर्स नमन सूर्या मार्केटिंग एलएलपी डी-45 सुभाष मार्ग सी-स्कीम जयपुर
7. मैसर्स नमन सूर्या मार्केटिंग एलएलपी डी-45 सुभाष मार्ग सी-स्कीम जयपुर
8. गोरधन दास अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल गोटेवाला उम्र 67 वर्ष निवासी 1038 जाडियों का रास्ता सीताराम की गल जयपुर शहर 302003(मालिक/विक्रेता) मैसर्स Jhandewalas Food Limited F-551(B), Road No.6 VKI Area Jaipur-1 302013
- 9- मैसर्स Jhandewalas Food Limited F-551(B), Road No.6 VKI Area Jaipur-1 302013

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर